

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 10 | अंक : 154 | गुवाहाटी | शनिवार, 30 दिसंबर, 2023 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

भारतीयों का हित हमारी सबसे बड़ी
चिंता : विदेश मंत्रालय

पेज 2

ग्रेनेड विस्फोटों में शामिल सभी अल्फा-स्वा
केंद्र गिरफ्तार

पेज 3

मोदी ने गरीबों को दिया ताकत, प्रशस्त
हुआ देश के प्रगति का मार्ग : गिरिराज सिंह

पेज 5

भारतीय फुटबॉल टीम के लिए शानदार रहा
यह साल, तीन खिताब जीते...

पेज 7

असम में अब उग्रवाद का अंत!

अल्फा और केंद्र के बीच हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता

नई दिल्ली। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (अल्फा) के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में केंद्र और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को मौजूदगी में हस्ताक्षरित समझौता, अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व वाले अल्फा गुट और सरकार के बीच 12 साल की बिना शर्त बातचीत के बाद हुआ है। इस शांति समझौते से असम में दशकों पुराने उग्रवाद के खतम होने की उम्मीद है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह मेरे लिए खुशी की बात है कि आज का दिन असम के भविष्य के लिए एक उज्वल दिन है। लंबे समय तक, असम और पूर्वोत्तर को हिंसा का सामना करना पड़ा और 2014 में पीएम मोदी के पीएम बनने के बाद, दिल्ली और पूर्वोत्तर के बीच अंतर को कम करने के प्रयास किए गए। वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि आज असम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और गृह मंत्री अमित शाह के -श्रेष्ठ पृष्ठ दो पर



राज्य के भविष्य के लिए सुनहरा दिन : केंद्रीय गृहमंत्री



नई दिल्ली। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (अल्फा) का तीन दशक से अधिक पुराना सशस्त्र संघर्ष खत्म हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को मौजूदगी में अल्फा के प्रतिनिधियों ने त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। अमित शाह ने इसे असम के भविष्य के लिए सुनहरा दिन करार दिया है। शाह के अनुसार अल्फा के साथ शांति समझौते के साथ ही असम में सभी सशस्त्र संघर्ष करने वाले गुट हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट आए हैं।

अमित शाह ने कहा कि शांति समझौते के बाद अल्फा के 700 सशस्त्र केंद्र हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट जाएंगे। इसके पहले बोड़ो, आदिवासी, कार्बी और डीमासा उग्रवादी गुटों के साथ समझौता हो

अमित शाह ने कहा कि शांति समझौते के बाद अल्फा के 700 सशस्त्र केंद्र हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट जाएंगे। इसके पहले बोड़ो, आदिवासी, कार्बी और डीमासा उग्रवादी गुटों के साथ समझौता हो

शांति समझौते का होगा शत प्रतिशत क्रियान्वयन : डॉ शर्मा

गुवाहाटी/नई दिल्ली (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (अल्फा) के साथ शुरुआत को दिल्ली में केंद्र व राज्य सरकार और अल्फा के साथ हुए शांति समझौते का राज्य में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुरुआत को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद उपस्थित समूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्फा का जन्म असम को स्वाधीन बनाने के लिए हुआ था। बाद में यह सशस्त्र संग्राम में बदल गया। इस संग्राम में 10 हजार से अधिक लोग मारे गए। मारे गए लोगों में से 95 फीसदी लोग असमिया नागरिक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के इस काले इतिहास में मरने वालों के परिजनों को यह पता नहीं था कि उनके परिवार वालों को क्यों मारा गया और मारने वालों को भी यह पता नहीं था कि आखिर क्यों मार रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिरकार अल्फा अध्यक्ष अरबिंद राजखोवा के नेतृत्व में यह संग्राम समाप्त हुआ। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से आज अल्फा के साथ केंद्र व राज्य सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। मुख्यमंत्री डॉ शर्मा ने कहा कि सन् 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के -श्रेष्ठ पृष्ठ दो पर



श्लोक पोस्ट पर विवाद : सीएम ने मांगी देशभक्ति और एकता ही स्वतंत्रता का आधार : भागवत माफी, ओवैसी ने साधा निशाना

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जातिवादी टिप्पणियों वाला एक पोस्ट अपलोड किया था। जिसके बाद मामले को बढ़ता देख अब शर्मा ने माफी मांगी है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा है कि उनकी टीम ने भगवत गीता के एक श्लोक का गलत अनुवाद किया है। शर्मा ने गुरुवार रात एक्स पोस्ट हटा दी... अगर डिलीट की गई पोस्ट से किसी को और फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि वह हर सुबह



अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भगवद गीता का एक श्लोक अपलोड करते हैं, जिसमें अब तक 668 श्लोक पोस्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में मेरी टीम के एक सदस्य ने अध्याय 18 श्लोक 44 से एक श्लोक गलत अनुवाद के साथ पोस्ट किया। जैसे ही मुझे गलती का एहसास हुआ, मैंने तुरंत पोस्ट हटा दी... अगर डिलीट की गई पोस्ट से किसी को और फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि वह हर सुबह

माजुली (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ससंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने शुरुआत को कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता का आधार देशभक्ति और आपसी एकता है। इसके बिना तो स्वतंत्रता ही खरों में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने राष्ट्र को युगानुकूल स्वत्व के आधार पर विकसित करना है। संघ के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य समाज को राष्ट्रभक्त, संगठित और ओजस्वी स्वाभिमान से परिपूर्ण बनाने की दिशा में जागृत करना है। डॉ. भागवत असम के माजुली में गणवेशधारी स्वयंसेवकों के लुइत सुबनसिरी समावेश को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वयंसेवकों से सवाल किया कि क्या भारत अपनी कड़ी मेहनत से स्वतंत्रता



परिरक्षित पारंपरिक ज्ञान और दुनिया भर के सर्वोत्तम ज्ञान द्वारा समर्थित पीढ़ीगत आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत शताब्दियों में दुनिया को भौतिकवादी आकांक्षाओं पर आधारित दोषपूर्ण मानकों के कारण विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हमारा भारतीय मॉडल समाज को सभी पहलुओं में आत्मनिर्भर बनाने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत अपने भौतिक स्थिति के कारण हिंदुकुश पर्वत से अराकान तक बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था; इसलिए हमारे पूर्वजों को आध्यात्मिक, कलात्मक और साथ ही भौतिक रूप से विकास के चरम तक

एनएससीएन (के-वाईए) ने पूर्व विधायक की हत्या की जिम्मेदारी ली

इटानगर। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन एनएससीएन (के-वाईए) से संबंधित युंग आंग गुट ने अरुणाचल के पूर्व विधायक युमसेन माटे की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। बंदूकधारियों ने पूर्व कांग्रेस विधायक माटे की हत्या 16 दिसंबर को भारत-म्यांमार सीमा पर तिरप जिले के राहो गांव में गोली मारकर कर दी थी। उग्रवादी संगठन ने गुरुवार को एक बयान जारी करके हत्या की जिम्मेदारी ली। बयान में कहा गया कि युमसेन माटे लगातार एनएससीएन के विरोध में काम



हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की तैयारी में भारत, पाकिस्तान सरकार को भेजे दस्तावेज

नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। दरअसल, हाफिज सईद 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों सहित विभिन्न आतंकवादी हमलों के लिए वांटेड है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आतंकवादी के प्रत्यर्पण की मांग करने वाले बागची ने कहा कि संबंधित व्यक्ति भारत में कई मामलों में वांटेड है। वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा



मणिपुर में जेएन.1 सब-वेरिएंट का पहला मामला आया सामने

सेनापति (मणिपुर)। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल, लंबे समय के बाद मणिपुर में कोविड-19 का एक ताजा मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक, सेनापति के पाओमाटा जिले के रहने वाले एक शख्स ने जेएन.1 वेरिएंट के लक्षण पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने दिल्ली से डीमापुर तक हवाई यात्रा की थी और उसके बाद सड़क मार्ग से डीमापुर से सेनापति तक यात्रा की थी। वायरस की जांच करने के लिए सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है।



पीओके में पाकिस्तानी सेना का शारदा पीठ पर कब्जा स्थानियों ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार

बेंगलुरु। पाकिस्तानी सेना के पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में शारदा मंदिर परिसर पर कब्जा किए जाने को लेकर शारदा बचाओ समिति (एसएससी) ने रोष जताया और शुरुआत को पाकिस्तान सेना के अधिकरण को हटाने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई, ताकि मंदिर के जीर्णोद्धार का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। एसएससी के संस्थापक रविंदर पंडिता ने बेंगलुरु के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने शारदा मंदिर परिसर पर कब्जा किया था और समिति के पक्ष में कोई



के आदेश के बावजूद वहां पर कॉफी होम बनाया है। उन्होंने कहा, शारदा बचाओ समिति भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तानी सेना द्वारा हाल ही में शारदा पीठ परिसर में बनाए गए कॉफी होम को हटाने और कब्जा करने का मुद्दा उठाने का अनुरोध किया। यह तीन जनवरी, 2023 को पीओके के सुप्रीम कोर्ट को ऐतिहासिक आदेश के बावजूद है, जिसमें शारदा बचाओ समिति के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। उन्होंने कहा कि पीओके में नागरिक समाज ने भी इस मुद्दे और बाउंड्री वॉल को हटाने का अनुरोध किया था, जिसे (अनुच्छेद 370) ने 2019 में निरस्त किया था। कुछ अलग तरह से किया गया। सरकार ने संविधान के दायरे में रहकर, सरकारी आदेश

अनुच्छेद 370 पर एससी के फैसले को संघवाद के नजरिए से नहीं देखा जा सकता : जस्टिस कौल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संघवाद के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के कुछ वर्गों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की। बता दें कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, जिसे (अनुच्छेद 370) ने 2019 में निरस्त किया था। कुछ अलग तरह से किया गया। सरकार ने संविधान के दायरे में रहकर, सरकारी आदेश



थी। जस्टिस संजय किशन कौल ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, मेरा मानना है कि कश्मीर से जुड़े फैसले को संघवाद के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में जो हुआ है उसे दोहराया जाना है या कहीं और दोहराया जा सकता है। जस्टिस कौल ने कहा कि इसका कारण यही है कि कश्मीर का भारत में विलय

पूर्वांचल केशरी
(असमिया दैनिक)
PURVANCHAL KESARI
(ASSAMESE DAILY)
GOOD LUCK PUBLICATIONS
House No. 30, D. Neog Path,
ABC, Guwahati - 781005
Mob: 94350 14771, 97070 14771

S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door
Fittings Modular Kitchen
& Accessories, etc.
D. Neog Path,
Near Dona Planet
ABC, G.S. Road,
Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात
शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण
रक्षा करें।
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी
तेजपुर विवि के
दीक्षांत समारोह में
हिस्सा लेने असम
आएंगे रक्षामंत्री

गुवाहाटी। असम के तेजपुर स्थित तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के एक 31 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह असम आएंगे। इस दौरान रक्षामंत्री विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के बाद उन्हें संबोधित करेंगे। विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में 783 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर (पीजी) डिग्री, 428 को स्नातक (यूजी) की डिग्री, 5 को पीजी डिप्लोमा और -श्रेष्ठ पृष्ठ दो पर

आँरी के सारे दावों को श्रुति हासन ने बताया फर्जी, कहा-

कौन है वो मैं नहीं जानती

श्रुति हासन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म प्रभास स्टार सालार से सुर्खियां बटोर रही हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इन सबके बीच अब श्रुति ने उन्हें असभ्य

कहने के लिए ओरी उर्फ ओरहान अवत्रामणि पर पलटवार किया है। एक इंटरव्यू में श्रुति ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आँरी कौन हैं। उन्होंने कहा कि वह लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करती हैं, जैसा लोग उनके साथ करते हैं। इस दौरान श्रुति ने अपनी शादी को लेकर चल रही अफवाहों पर भी खुलकर बात की। अनजान लोगों के लिए, आँरी ने सालार एक्ट्रेस को असभ्य व्यक्ति कहा था। सोशल मीडिया बर्डी ने हाल ही में रेटिट पर एक एएमए में दावा किया कि जब वे एक-दूसरे से मिले तो श्रुति ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए श्रुति ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह (आँरी) कौन हैं। मैं अपना काम करने और अपनी जिंदगी जीने में व्यस्त

हूँ। मैंने हमेशा उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है जो मेरे जीवन और मेरे आस-पास अच्छी ऊर्जा लाते हैं। मैंने हमेशा यह कहा है और मैं इस पर कायम हूँ। मैं एक दर्पण की तरह हूँ, मैं लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती हूँ जैसा मेरे साथ किया जाता है और मुझे इसका कभी अफसोस नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह बहुत बचकाना है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे नहीं जानते वे मेरे बारे में बात न करें। मैंने अपनी जिंदगी पूरी खुलेपन और ईमानदारी से जी है। अगर मैं शादीशुदा होता तो मैं इसे क्यों छिपाता? मैंने एक स्पष्टीकरण पोस्ट किया क्योंकि मेरा सोशल मीडिया इस खबर से स्पेम हो गया था... यह हास्यास्पद था। मैं इस पर हंस रही थी।

स्किपिंग रोप एक्सरसाइज करते समय कुछ गलतियों से बचना है जरूरी



फिटनेस प्रीक लोग फिट रहने के लिए तरह-तरह की एक्सरसाइज करते हैं। आमतौर पर लोगों को ऐसी फिटनेस रूटीन फॉलो किए जाने की सलाह दी जाती है। जिसे फॉलो करने में खुद को भी मजा आए। हालांकि हर व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से फिटनेस रूटीन फॉलो करता है। किसी को योग करना पसंद होता है तो कोई कार्डियो करता है। लेकिन आपको बता दें कि स्किपिंग रोप या रस्सी कूदना एक ऐसा वर्कआउट है। जो लगभग हर किसी को पसंद आता है। हम सभी लोगों में से कई लोग ऐसे हैं, जो बचपन में रस्सी कूदा करते थे। हालांकि बचपन का यह खेल फिटनेस का एक हिस्सा है। यह खुद को फिट रखने का एक अच्छा तरीका है। भले ही रस्सी कूदना एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इसे सही तरीके से करना काफी जरूरी होता है। लोग रस्सी कूदने के लिए दौरान काफी छोटी-छोटी गलतियां करते हैं। ऐसे में इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताते जा रहे हैं कि रस्सी कूदने के दौरान किन गलतियों को करने से बचना चाहिए।

अधिक हाथ हिलाना: ज्यादातर लोग रस्सी कूदने के दौरान हाथों को ज्यादा हिलाते हैं। खासतौर पर बिगनर रस्सी कूदने के दौरान अपने हाथों, कोहनी या कंधे को अधिक मूव कर सकते हैं। लेकिन बता दें कि यह अप्रभावी होने के साथ ही थका देने वाला है। इसलिए प्रयास करें कि आइने के सामने खड़े होकर रस्सी कूदें, जिससे आपको अपने शरीर की मूवमेंट को मॉनिटर करने का मौका मिले। इससे आप आसानी से बाँडी मूवमेंट को मॉनिटर कर पाएंगे। रस्सी कूदने के दौरान आपके आर्म स्थित होने चाहिए। वहीं कलाइयों से

ज्यादा मूवमेंट होनी चाहिए।

अधिक ऊंचा कूदना: बहुत से लोग ज्यादा ऊंचा कूदते हैं, अमूमन यह लगती सभी लोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। क्योंकि जब आप ज्यादा ऊंचा कूदते हैं, तो आपके बार-बार अटकने की संभावना होती है। साथ ही आपके पैरों पर भी अधिक जोर पड़ता है और आप जल्दी थक जाते हैं। इसलिए रस्सी कूदने के दौरान आपको जमीन से सिर्फ 1-2 इंच ऊपर ही कूदना चाहिए। ऊंचाई आपके घुटनों तक नहीं आनी चाहिए।

वार्मअप ना करना: किसी भी वर्कआउट को करने से पहले वार्मअप किया जाना बेहद जरूरी होता है। इसलिए रस्सी कूदने के दौरान भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग समय बचाने के चक्कर में अच्छे से वार्मअप नहीं करते हैं। वहीं सही तरह से वार्मअप नहीं किए जाने पर रस्सी कूदने से आपको चोट लगने की अधिक संभावना होती है। इसलिए इसे करने से पहले आपको जॉगिंग या फिर जॉगिंग जैक आदि कुछ मिनट के लिए करना चाहिए।

एडवांस मूव्स: आपको बता दें कि स्किपिंग रोप एक्सरसाइज में भी कई वैरिएशन होते हैं। लेकिन प्रैक्टिस और लेवल को ध्यान में रखते हुए यह वैरिएशन किए जा सकते हैं। लेकिन कई बिगनर दूसरों की देखा-देखी में क्रॉसओवर या डबल अंडर मूव्स करने लगते हैं। लेकिन बिगनर होने पर इन मूव्स को करने से आपको चोट लगने का अधिक खतरा होता है। इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

ईशा कोप्पिकर ने टिमी नारंग से 14 साल बाद लिया तलाक

अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर शादी के 14 साल बाद पति टिमी नारंग से अलग हो गई हैं। दोनों पिछले कुछ समय से चल रहे अनुकूलता संबंधी मुद्दों के कारण अलग हो गए हैं। जब उन्होंने मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की, तो ऐसा लगा जैसे बात नहीं बनी। माना जाता है कि ईशा कुछ समय पहले अपनी बेटी के साथ घर से बाहर चली गई थीं। फिलहाल दोनों अपनी प्राइवेट को सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसलिए इस बारे में बात नहीं करना चाहते। ईशा कोप्पिकर की शादी खटाई में पड़ती नजर आ रही है। एक्टर अपने होटल व्यवसायी पति टिमी नारंग से अलग हो गए हैं। जब ई-टाइम्स ने डॉन अभिनेता से संपर्क किया, तो उन्होंने



एक टेक्स्ट संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि मुझे कुछ नहीं कहना है। इसे बहुत जल्दी है। मुझे अपनी निजता चाहिए। मैं आपकी संवेदनशीलता की सराहना करूंगा। ईशा ने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया है और वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी फिल्म उद्योगों का भी हिस्सा थीं। 2000 में फिल्म 'फिजा' से बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने कंपनी (2002), कांटे (2002), पिंजर (2003), डॉन जैसी फिल्मों में काम किया। और डरना मना है सहित अन्य। वह अगली बार तमिल फिल्म अयलान में नजर आएंगी।



Government of Assam

A unique initiative upholding the right to live with dignity of aging parents and dependent divyang siblings

Assam Employees' PRANAM Act

(The Assam Employees' Parent Responsibility and Norms for Accountability and Monitoring Act, 2017)

Salient features

- All employees working under the State Government / Government undertakings / State PSUs come under the purview of this Act
- Three-tier structure with time-bound procedure to deliver timely justice
- If any parent or divyang sibling of the Government employee is financially neglected, compensation up to 10% (and in exceptional cases up to 15%) can be claimed by them from the monthly salary of the employee concerned
- If a government employee dies before retirement, his/her dependent and financially neglected parents and divyang siblings can claim compensation upto 10% (and in exceptional cases up to 15%) from the Compassionate Pension received by the spouse/legal heir. However this is not applicable in the case of Family Pension
- If the designated authority or appropriate authority has, without any reasonable cause, refused to receive an application or has not disposed of the application within the time-limit, PRANAM Commission will impose a penalty of Rs. 100 per day


Procedure for seeking compensation

- Aggrieved parents/divyang siblings need to submit their application to the Drawing and Disbursing Officer (DDO), who is the designated authority of the employee concerned. The DDO is empowered to determine the eligibility of the claim and is bound to dispose of the case within 90 days
- In case the DDO fails to dispose of the case within the time limit or if the employee, parent or divyang sibling is aggrieved by the order of the designated authority, appeal may be preferred to the 1st Appellate Authority, the Commissioner & Secretary, GAD, Assam Secretariat, Dispur
- In case the Commissioner & Secretary, GAD fails to dispose of the case within 60 days or if any of the parties concerned is aggrieved by the order, the appeal may be preferred to the PRANAM Commission
- The PRANAM Commission will dispose of the appeal within 90 days and the decision of Commission will be final and binding

“

We are very proud that Assam is the first state in the country to implement the PRANAM Act which is an effort to protect elderly parents and divyang siblings of Government employees in their times of need

”



Dr Himanta Biswa Sarma
Chief Minister, Assam



Issued in Public Interest by :

PRANAM COMMISSION

GAD Building, Panbazar, Guwahati-781001
Ph-0361-2730515 (Chief Commissioner) & 84740-93342 (Registrar)
Website : <https://pranam.assam.gov.in>

Published by Directorate of Information & Public Relations, Assam

Connect with us



@diprassam dipr.assam.gov.in

Subscribe to Asom Barta



Whatsapp 'Assam' at 8287912158

-- Janasanyog /D/15507/ 23